7.7.2017

पत्रावली आज मेम्बर रूबरू बाद
पर पेश वादीया व प्रतिवादी [illegible]
उपस्थित। वाद पत्र में, तथ्य इस प्रकार
है कि, वादिया एवं प्रतिवादीगण की
शामलाती पैतृक, अविभाजित कृषि
आराजियात ग्राम किशनपुरा, में
में, आराजी नम्बर 939, 941, 947,
1643/930 किता 04 कुल रकबा 20.
03 बीघा है।

वादीयान व प्रतिवादीगण के, मूरस
पुरुष केशा जी थे। जिनके लक्ष्मी
नारायण, शंकर पुत्र व पुत्री रमु थी।
नारायण की मौत होने से उनके
वारिसान देवीलाल, भैरुलाल, बगदूलाल

नि. शंकर

नि. [illegible]

व पुत्रीयां डाली, मायर, सुगना
व रामु पत्नी है। शंकर व रामु
जीवित है। कैंचा की मृत्यु के पश्चात
विरासत से नामान्तकरण नारायण
व शंकर द्वारा मिलिभगत कर अपना
नाम अंकित करा लिया गया है और
वादीया का नाम अंकित नहीं किया
गया है जबकि आपदा पुत्री हूँ।
अतः मेरा 1/3 हिस्सा है अतः
वादिया का याचिका-पत्र स्वीकार
कर वादीया को प्रतिवादीगण के
साथ खातेदार काश्त कार घोषित
किया जाकर राजस्व रेकार्ड में
नाम अंकन करावे।

पत्रावली के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया मृतक कैंचा के 2 लड़के व
एक लड़की वारिसान है अतः
पैतृक सम्पत्ति में उक्त
विवादित आराजियात में वादिया
का 1/3 हिस्सा बनता है।

आदेश

वादीया का वादपत्र
स्वीकार किया जाता है कि ग्राम
बिलियावाला के खसरा नम्बर
939, 941, 947, 1643/930 कितआ 04
कुल रकबा 03 बीघा में वादीया
को 1/3 हिस्से का काश्त कार घोषित
किया जाता है। तहसीलदार
राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बारे। खर्चा कार्यवाही अपना अपना वहन करें बारे। आज दिनांक 7.7.2017 को निर्णय सरेआम कोर्ट कक्ष रहैराबाद में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नाम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधि[redacted]री एवं पदेन सहायक कलक्टर,[redacted]मीरगढ	